भारत में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

–पश्यंती शुक्ला

इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि सरकार के तमाम प्रयासों ने महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को पहले से बहुत बेहतर स्थिति में पहुंचाया है लेकिन अब नए-नए कानून बनाने से अधिक यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कैसे उपलब्ध कानूनों का सही क्रियान्वयन किया जाए ताकि अपने संवैधानिक अधिकारों का लाभ शहरों में रह रही उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की वह महिलाएं भी उठा सकें जो संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों से भी वंचित हैं।

भारतीय समाज में महिलाएं अपमान, अत्याचार और शोषण का शिकार रही हैं इसीलिए भारत में महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का मुद्दा हमेशा ही मुख्यधारा की चर्चा का हिस्सा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक स्त्रियों की निम्न दशा के प्रमुख कारण अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, धार्मिक निषेध, जाति बन्धन, स्त्री नेतृत्व का अभाव तथा पुरुषों का उनके प्रति अनुचित दृष्टिकोण आदि थे। हालांकि स्वतंत्रता के बाद से आई विभिन्न सरकारों ने देश में महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक विकास में बराबर की हिस्सेदारी के अवसर प्रदान करने के लिए समय–समय पर अनेक कानून लाकर उनके सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसके बावजूद मुख्यधारा में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के मामले में भारत अभी भी दुनिया के कई देशों से पीछे हैं।

कुछ ही महीने पहले प्रकाश में आए एशिया–प्रशांत क्षेत्र में लैंगिक समानता पर किए गए एक सर्वे के अनुसार महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण के मामले में भारत इस क्षेत्र के 16 देशों में सबसे निचले पायदान पर है। रिपोर्ट में कहा गया कि एशिया–प्रशांत क्षेत्र में लैंगिक समानता का अभाव है और इस दिशा में काफी प्रगति की आवश्यकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि यद्यपि इस क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा शिक्षित हो रही हैं, लेकिन लैंगिक समानता का अभी भी अभाव है, खासकर कारोबारी नेतृत्व, कारोबारी स्वामित्व और राजनीतिक भागीदारी के मामले में। पूरे क्षेत्र में न्यूजीलैंड 77 अंकों के साथ महिला सशक्तीकरण की स्थिति में सबसे बेहतर है। जबकि 76 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया दूसरे, 72.6 अंक के साथ फिलीपींस तीसरे और 70.5 अंक के साथ सिंगापुर चौथे स्थान पर रहा। वहीं 44.2 अंक प्राप्त करके भारत, पड़ोसी देशों बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे रहा।

सरकारी आंकड़ों में भी महिलाओं की स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं है। आर्थिक विकास और शिक्षा का स्तर बढ़ने के बावजूद महिलाओं के पास मन–मुताबिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता बहुत कम है। महिलाओं की स्थिति के व्यापक अध्ययन के लिए बनाई गई एक उच्चस्तरीय समिति ने 2014 में अपनी प्रथम रिपोर्ट जारी कर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, घटते लिंग अनुपात और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के तीन मुख्य सामयिक मुद्दे बताए और कहा कि इन पर देश को तत्काल ध्यान देने और सरकार द्वारा तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है।

सामाजिक स्थिति

स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर वहां की महिलाओं की स्थिति

है। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए, जहां वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सकें। हमें नारीशक्ति के उद्धारक नहीं, वरन् उनके सेवक और सहायक बनना चाहिए। भारतीय नारियां संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भांति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त अवसर देने की। इसी आधार पर भारत के उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं सन्निहित हैं।

भारतीय संविधान में महिलाओं को समानता के अधिकार दिए तो गए हैं फिर भी अपवाद छोड़कर यदि समग्रता में देखा जाए तो वर्तमान में भी भारतीय समाज की पुरुष प्रधान सोच के कारण अधिकतर महिलाएं अपने कैरियर, विवाह या विवाह के बाद भी अपने या अपने बच्चों संबंधित निर्णय लेने को स्वतंत्र नहीं हैं। संविधान में तमाम अधिकार मिले होने के बाद भी समाज में महिलाओँ की सामाजिक स्थिति बेहद कमजोर है। बलात्कार, हत्या, दहेज, घरेलू हिंसा जैसे मामले आए दिन अखबारों की सुर्खियां बने रहते हैं। इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 1947 से आई लगभग सभी सरकारों द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया गया है लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से न हो सकने के कारण स्त्रियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला है। भारत सरकार ने महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए विभिन्न कानूनों को समय–समय पर पारित किया जिनमें हिंदू विवाह अधिनियम (1995), हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956), दहेज प्रतिषेध अधिनियम (1961), गर्भावस्था अधिनियम की मेडिकल टर्मिनेशन (1971), समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976), बाल विवाह निरोधक अधिनियम (1976 आदि) प्रमुख हैं फिर भी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के मानकों पर भारतीय महिलाएं संघर्ष करती दिखाई देती हैं।

शिक्षा : भारत में साक्षरता दर में एक बड़ी असमानता है। 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार 82.14 % पुरुषों के मुकाबले महिलाओँ में साक्षरता का प्रतिशत 65.46 % था। हालांकि इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता कि भारत में महिला साक्षरता दर धीरे–धीरे बढ़ी है लेकिन यह भी सत्य है कि आज भी लड़कों की तुलना में बहुत ही कम लड़कियां स्कूलों में दाखिला लेती हैं और उनमें से कई बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। लिहाजा उच्च शिक्षा के मामले में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की स्थिति कहीं अधिक खराब है।

स्वास्थ्य : भारत में महिलाओं की औसत आयु प्रत्याशा में पिछले कुछ वर्षों में सुधार आया हैं फिर भी आज भी यह दुनिया के कई देशों के मुकाबले कहीं पीछे है। वर्ल्ड बैंक की एक्सपर्ट मीरा चटर्जी की रिपोर्ट 'स्पायरिंग लाइव्स' में भारत समेत बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका में महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति का लेखा–जोखा पेश किया गया है, और इसके अनुसार भारत में आज भी प्रति एक लाख प्रसवों के दौरान 301 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। जबकि नेपाल में यह दर 281, पाकिस्तान में 276 तथा श्रीलंका में सिर्फ 58 है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15–18 साल की उम्र की 51.4 फीसदी महिलाएं खून की कमी से ग्रस्त हैं तथा इसी आयु वर्ग में 41 फीसदी पोषण के अभाव में कम वजन की समस्या से जूझ रही हैं। 20–22 आयु वर्ग में करीब 45.6 फीसदी महिलाएं रक्त अल्पतता से ग्रस्त हैं तथा 30.6 फीसदी अंडरवेट हैं। इतना ही नहीं प्रजनन स्वास्थ्य में कमजोर होने की एक मुख्य वजह 50 फीसदी महिलाओं का विवाह 20 साल से कम उम्र में होना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को महिलाओं के स्वास्थ्य पर फोकस करने के लिए अपने स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित स्वास्थ्यकार्मिकों की तैनाती कर सभी प्रजनन सेवाएं एक स्थान पर दी जानी चाहिए।

सुरक्षा : महिलाओं के प्रति अपराध पर लगाम लगाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान में कानूनों की एक लंबी सूची है। फिर भी दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूणहत्या, बालविवाह, यौनशोषण, ऑनर किलिंग और ट्रैफिकिंग आदि के मामले भारत में आम बात है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में महिलाओं के साथ अपराध के मामलों में दुगुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान देश में ऐसे 22 लाख 40 हजार मामले दर्ज हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार महिलाएं हर एक घंटे में 26 अपराध यानी कि हर दो मिनट पर एक अपराध का शिकार बनती हैं। इन अपराधों में पतियों से और संगे–संबधियों के हाथों मिलने वाली प्रताड़ना के मामले सबसे ज्यादा होते हैं। पिछले एक दशक में ऐसे 9 लाख 9 हजार 713 मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद दूसरा नबंर यौन प्रताड़ना से जुड़े मामलों का है। पिछले दस सालों में यौन प्रताड़ना के 4 लाख 70 हजार 556 मामले दर्ज हुए हैं। तीसरे स्थान पर अपहरण से जुड़े मामले हैं। समीक्षाधीन अवधि में ऐसे 3 लाख 15 हजार 74 मामले दर्ज हुए। इसके साथ ही बलात्कार के 2 लाख 43 हजार मामले, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के 1 लाख 4 हजार 151 मामले और दहेज हत्या से जुड़े 80 हजार 833 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा दहेज विरोधी कानून के तहत 66 हजार मामले भी सामने आए।

आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 में महिलाओं के खिलाफ कुछ नयी श्रेणियों में भी आपराधिक मामले दर्ज हुए जिनमें बलात्कार के प्रयास से जुड़े 4 हजार 234 मामले, आत्महत्या के लिए

उकसाने से जुड़े 3734 मामले और घरेलू हिंसा से बचाव के 426 मामले शामिल हैं।

भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्याएं

अशिक्षा व निरक्षरता; आर्थिक स्वावलंबन का अभाव; संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों की जानकारी का अभाव; अधिकारों से अनभिज्ञता; घरेलू हिंसा; घर तथा कार्यस्थलों पर यौन शोषण; दहेज; बालविवाह; बालिका शिशु वध तथा भ्रूण हत्या; देह व्यापार; सार्वजनिक जीवन में सीमित सहभागिता; समाज में स्त्री–पुरुष के बीच दोहरे मानदंड; निर्णय लेने की अक्षमता।

आर्थिक स्थिति

सन् 2013 में 'अंतर्राष्ट्रीय परामर्श व प्रबंधन फर्म बूज एंड कंपनी' ने 'थर्ड बिलियन इंडेक्स' नामक रिपोर्ट जारी की। स्त्रियों के आर्थिक सशक्तीकरण को लेकर किए गए सर्वेक्षण सूची में भारत को 128 मुल्कों में 115 वां स्थान मिला है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने देश की महिलाओं के लिए असीम संभावनाएं पैदा की हैं, इसके बावजूद महिलाओँ का एक बड़ा हिस्सा सांस्कृतिक परंपराओं, लिंग–भेद व संसाधनों के अभाव में अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है।

देश के आर्थिक विकास में महिलाओं की साझेदारी की महत्ता पर बल देते हुए, वर्ष 2011 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करते समय भारत के वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की उचित भागीदारी के बिना सामाजिक प्रगति की अपेक्षा रखना बेमानी होगा। जहां–जहां महिलाओं की व्यापार व कॉरपोरेट जगत में अहम भागीदारी रही है संयुक्तराष्ट्र के एक सर्वेक्षण के मुताबिक वहां करीब 53% अधिक लाभांश और करीब 24% अधिक बिक्री पाई गई है। लेकिन चंद महिलाओं को ऊंचे पद तथा सुदृढ़ स्थिति में देखकर हम उन अशिक्षित और शोषित महिलाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो आज भी अपने मौलिक अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं।

संयुक्त राष्ट्र के लैंगिक असमानता सूचकांक (जी आई आई) 2011 में दुनिया के 187 देशों में भारत 134वें पायदान पर है जो लैंगिक समानता में भारत की दयनीय स्थिति को उजागर करता है।

श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी– महिलाएं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाती हैं लेकिन उनके काम का सही मूल्यांकन नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आंकड़ा संग्रहण एजेंसियां भी इस तथ्य को स्वीकार करती हैं कि श्रमिकों के रूप में महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक गंभीर न्यूनानुमान है।

संविधान में महिलाओं के लिए प्रावधान

अनुच्छेद 15	धर्म,जाति,जन्मस्थान अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाना।
अनुच्छेद 15(3)	महिलाओं के हित में विशेष उपबंधों का निर्माण किया जाना।
अनुच्छेद 16	लोकसेवा में समान रूप से अवसर दिया जाना।
अनुच्छेद 19	समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 21	प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न किया जाना।
अनुच्छेद 23	क्रय–विक्रय एवं बलात् श्रम से संरक्षण।
अनुच्छेद 39	समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध कराना।
अनुच्छेद 40	पंचायती राज संस्थाओं में 73वें एवं 74वे संशोधन द्वारा 33 प्रतिशत आरक्षण।
अनुच्छेद 42	काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।
अनुच्छेद 47	महिलाओं हेतु पोषाहार, जीवन स्तर तथा लोकस्वास्थ्य में सुधार हेतु उपबंध करना।
अनुच्छेद 51	स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन– एनएसएसओ की एक रिपोर्ट की माने तो भारत में शिक्षा के प्रसार के बावजूद शिक्षित युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिल पाता है और इन हालातों में काबिल होने के बावजूद घर बैठ जाने वालों में महिलाओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है। एनएसएसओ द्वारा आयोजित रोजगार तथा बेरोजगारी सर्वेक्षण 2011 से यह स्पष्ट होता है कि 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच की शहरी महिलाओं में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 15.7 फीसदी पाई गई है। जबकि इसी उम्र के पुरुषों की बेरोजगारी दर 9 फ़ीसदी दर्ज की गई है। आँकड़े इस बात का साफ संकेत देते हैं कि श्रमजीवी रोजगार में प्रवेश के लिए अधिक से अधिक संख्या में शहरी महिलाएं तैयार हैं लेकिन मौजूदा समय में पर्याप्त और योग्यता अनुसार अवसर खोजने में असमर्थ हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा, वैश्विक रोजगार की प्रवृत्तियों पर 2012 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 131 देशों में भारत की शहरी महिला श्रमिक शक्ति दर (डब्ल्यूपीआर) 15 फीसदी के साथ दुनिया भर में नीचे से ग्यारहवें स्थान पर है जो एक बेहद चिंताजनक आंकड़ा है।

अन्य जनसांख्यिकीय समूहों की तुलना में शहरी महिलाओं में बेरोजगारी दर सबसे अधिक पाई गई है। 15.7 फीसदी बेरोजगारी दर के साथ स्नात्तक एवं उच्च डिग्रियां हासिल करने के बावजूद शहरी महिलाओं में बेरोजगारी का प्रतिशत सर्वाधिक है।

विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, साल 2011 में भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं का डब्ल्यूपीआर यानी 'महिला श्रमिक शक्ति दर' 30 फीसदी से कम दर्ज की गई, जबकि ब्राजील एवं चीन में इन्हीं उम्र की महिलाओं का डब्ल्यूपीआर 60 फीसदी एवं 67 फीसदी देखा गया है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20 फीसदी शहरी महिलाएं घरेलू सहायिका, सफाई कर्मचारी, विक्रेता ,फेरी वाले एवं दुकानों में सेल्सगर्ल के रूप में काम करती हैं। वहीं 43 फीसदी महिलाएं स्वनियोजित कार्य करती हैं जबकि इतनी हीं महिलाएं मासिक वेतन पर काम करती हैं। लगभग 46 फीसदी मासिक वेतन पर काम करने वाली शहरी महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं रोजगार लाभ तय नहीं हैं। जबकि 56 फीसदी महिलाओं के पास लिखित में किसी भी तरह का जॉब कांट्रेक्ट नहीं हैं, अर्थात् देश की जीडीपी में उनकी हिस्सेदारी का कोई हिसाब नहीं है।

एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार भारत में 48 फीसदी महिलाएं स्वरोजगार किसान हैं और डेयरी उद्योग में लगभग 75 लाख महिलाएं काम कर रही हैं। साल 2001 में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम की भागीदारी दर 30.79 प्रतिशत थी वहीं शहरी क्षेत्रों में 11.88 प्रतिशत थी। वर्तमान में निजी क्षेत्र कंपनियों में कुल वर्कफोर्स की 24.5 फीसदी भागीदारी महिलाओं की है। सार्वजानिक क्षेत्र की कम्पनियों में महिलाओं की ये हिस्सेदारी तकरीबन 17.9 प्रतिशत है।

भूमि और संपत्ति संबंधी अधिकार के संदर्भ भारत का कानून किसी महिला को अपने पिता की पुश्तैनी संपत्ति में पूरा अधिकार देता है, अर्थात यदि पिता ने खुद जमा की संपत्ति की कोई वसीयत नहीं की है, तब उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति में लड़की को भी उसके भाईयों और मां जितना ही हिस्सा मिलेगा। यहां तक कि शादी के बाद भी यह अधिकार बरकरार रहेगा। हालांकि अभी नवंबर 2015 में ही आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने पिता की संपत्ति में बेटियों के बराबर के अधिकार को सीमित कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि अगर पिता की मृत्यु 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन से पहले हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में बेटियों को संपत्ति में बराबर के अधिकार से वंचित रखा जाएगा। अदालत ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के संशोधित प्रावधान के एक सामाजिक विधान होने के बावजूद पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता। बेटी को संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार तभी माना जाएगा, जब पिता 9 सितंबर, 2005 को जीवित हों। दरअसल हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में बेटी के लिए पिता की संपत्ति में किसी तरह के कानूनी अधिकार की बात नहीं कही गई थी, जबकि संयुक्त हिंदू परिवार होने की स्थिति में बेटी को जीविका की मांग करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन 9 सितंबर, 2005 को हुए संशोधन के बाद पिता की संपत्ति में बेटी को भी बेटे के बराबर अधिकार दिया गया था।

संपत्ति और अधिकार संबंधी मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ अन्य फैसले भी उल्लेखनीय हैं:–

1986 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक वृद्ध और तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। हालांकि कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं ने इस फैसले का जोर–शोर से विरोध किया और उन्होंने यह आरोप लगाया कि अदालत उनके निजी कानून में हस्तक्षेप कर रही है। बाद में केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक संबंधी अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम को पारित किया।

इसी तरह ईसाई महिलाओं ने तलाक और उत्तराधिकार के समान अधिकारों के लिए वर्षों तक संघर्ष किया है। 1994 में सभी गिरिजाघरों ने महिला संगठनों के साथ संयुक्त रूप से एक कानून का मसौदा तैयार किया जिसे ईसाई विवाह और वैवाहिक समस्याओं का कानून कहा गया। हालांकि सरकार ने प्रासंगिक कानूनों में अभी तक कोई संशोधन नहीं किया।

निष्कर्ष स्वरूप कहा जाए तो समाज में महिलाओँ की स्थिति में सुधार लाए जाने के लिए अभी भी अनेक प्रयास करने की आवश्यकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में केरल जैसे कुछ राज्यों और अपवादों को छोड़ दिया जाए तो महिलाओं की स्थिति निराशाजनक ही बनी हुई है। आर्थिक क्षेत्र में महिलाएं अभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकी हैं। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि सरकार के तमाम प्रयासों ने महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को पहले से बहुत बेहतर स्थिति में पहुंचाया है लेकिन अब नए–नए कानून बनाने से अधिक यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कैसे उपलब्ध कानूनों का सही क्रियान्वयन किया जाए ताकि अपने संवैधानिक अधिकारों का लाभ शहरों में रह रही उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की वह महिलाएं भी उठा सकें जो संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों से भी वंचित हैं।

(लेखिका टी वी चैनल ज़ी न्यूज से जुड़ी हुई हैं)
ई–मेल : pashyantizeenews@gmail.com